न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजोरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 100 / 2022 / प्रा.पत्र / एलआरएक्ट / बारां
दायरा दिनांक: 31.05.2022
अन्तर्गत धारा: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सीपीसी

उनवान

भोंदा पुत्र फोजा जाति चमार निवासी औगाढ़ तहसील शाहाबाद, जिला बारां राज0 ..अपीलांट(अप्रार्थी)

बनाम

1. कैलाश पुत्र गोघा जाति चमार निवासी औगाढ तहसील शाहाबाद जिला बारां
2. शोलू पुत्र गोघा जाति चमार निवासी औगाढ तहसील शाहबाद जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहाबाद, जिला बारां ... रेस्पोडेन्ट (प्रार्थी)

उपस्थित : श्री आलोक गोयल अभिभाषक –रेस्पो0 (प्रार्थी)
पैरोकार सरकार–अप्रार्थी

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सीपीसी
विरूद्ध
अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 प्रकरण संख्या 218 / 2013
निर्णय दिनांक 17.08.2016

दिनांक 20.09.2024

1. प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सीपीसी विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 प्रकरण संख्या 218 / 2013 निर्णय दिनांक 17.08.2016 का इस आशय का पेश किया कि उनवान भोंदा बनाम कैलाश के अपील माननीय न्यायालय में जेरकार थी, जिसमें प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) के विरूद्ध दिनांक 10.08.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही कर बहस एक पक्षीय सुनी जाकर दिनांक 17.08.2016 को अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपील फैसल कर दी गई। प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) को उक्त उनवान अपील के न्यायालय में होने की जानकारी नहीं थी न ही प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) को उक्त अपील के कोई नोटिस प्राप्त हुए। जानकारी के अभाव में प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) के हित प्रभावित हुए है। निर्णय दिनांक 17.08.2016 की प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.09.2020 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर व दिनांक 26.09.2020 को नकल निर्णय प्राप्त होने पर हुई इससे पूर्व प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) को उक्त प्रकरण में पारित एकपक्षीय आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। अतः प्रार्थना–पत्र

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

प्रस्तुत करने में हुई देरी की माफी के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में वर्णित कारणों पर डिले कन्डोन किया जाकर प्रार्थना–पत्र अवधि मध्य मानते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2016 को पुनः सुनवाई किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

2. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अप्रार्थी की आपत्ति सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन आहूत किया गया। मूल अपील पत्रावली प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) के विरूद्ध दिनांक 10.08.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही कर बहस एक पक्षीय सुनी जाकर दिनांक 17.08.2016 को अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपील फैसल कर दी गई। प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) को उक्त उनवान अपील के न्यायालय में होने की जानकारी नहीं थी न ही प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) को उक्त अपील के कोई नोटिस प्राप्त हुए। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2016 को पुनः सुनवाई किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

4. पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपीलांट के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि प्रकरण संख्या 218/2013 में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2016 न्यायोचित है। प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।

5. हमने मूल अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रकरण संख्या 218/2013 निर्णय दिनांक 17.08.2016 पत्रावली का अवलोकन कर बहस उभय पक्षकार पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर पेश किया गया है साथ ही रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र पर कोई आपत्ति नहीं करने पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सीपीसी का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) का मुख्य तर्क है कि प्रकरण संख्या 218/2013 दिनांक 10.08.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही कर बहस एक पक्षीय सुनी जाकर दिनांक 17.08.2016 को अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपील फैसल कर दी गई। प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) को उक्त उनवान अपील के न्यायालय में होने की जानकारी नहीं थी न ही प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) को उक्त अपील के कोई नोटिस प्राप्त हुए। उपरोक्त विवेचनानुसार मूल अपील प्रकरण संख्या 218/2013 निर्णय दिनांक 17.08.2016 का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि प्रार्थी रेस्पो0 क्र. 1 कैलाश एवं रेस्पो0 क्र. 2 शोलू की तलवी न्यायालय द्वारा प्रकरण में जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस आदेशिका दिनांक 11.03.2015 से किये जाने के उपरांत प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 27.05.2015 नियत की गई। इसके पश्चात् आदेशिका

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

क 14.10.2015 से प्रार्थी रेस्पो0 क्र. 1 कैलाश एवं रेस्पो0 क्र. 2 शोलू को तलवी हेतु ...री रजिस्टर्ड एसी रसीद अनुसार बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में वास्ते बहस दिनांक 09.12.2015 आगामी तारीख पेशी नियत की गई तथा दिनांक 10.08.2016 को अपीलांट की बहस सुनी जाकर दिनांक 17.08.2016 को निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) के इस कथन की पुष्टि नहीं होती है कि बिना सूचना के एकपक्षीय कार्यवाही की गई है साथ ही प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित पता जो निवासी औगाढ़ तहसील शाहबाद है, इसी पर अपील प्रकरण में दिनांक 11.03.2015 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.05.2015 नियत करते हुए रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलीय प्रकरण में विधिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए पर्याप्त सूचना दिये जाने के बावजूद प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) अनुपस्थित रहने से मूल अपील प्रकरण संख्या 218/2013 निर्णय दिनांक 17.08.2016 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांईश नहीं होना प्रकट होता है। लिहाजा प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण (रेस्पो01 एवं 2) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन/बलहीन होने से होने से खारिज किया जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

...के निर्णय दिनांक 17/8/16 की प्रार्थीगण...